

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय—भोपाल

क्रमांक ५३ / ४७७ / २०२० / २०-१

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।

विषयः—

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए आय एवं सम्पत्ति के प्रमाण—पत्र तैयार कर जारी करने के संबंध में।

संदर्भः—

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. ०७-११/२०१९/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019, दिनांक 18 जुलाई 2019 एवं 22 नवम्बर 2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके माध्यम से राज्य शासन द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है जो सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर भी प्रभावशील है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु मापदण्ड निर्धारित किए जा चुके हैं तथा यह भी प्रावधानित किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए विहित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप में तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

3/ प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा—2018 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और उक्त के अनुक्रम में संचालनालय, लोक शिक्षण द्वारा पात्रता परीक्षा में अहं पाए गए अभ्यर्थियों की रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार एवं पात्रतानुसार काउंसिलिंग एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस आशय की रावर्जनिक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को जारी की जा चुकी है।

4/ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा काउंसिलिंग एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिसके अंतर्गत प्रथमतः अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के अंतर्गत सम्मिलित हैं, को

निम्न समय—सीमा के भीतर इस आशय का प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन दर्ज करना होगा जिसकी समय—सारणी निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्रमांक	पदनाम	ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण—पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करते हुए ऑनलाईन सत्यापन दर्ज करने की अंतिम तिथि
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक	दि. 17 जनवरी 2020 से 02 फरवरी 2020 तक
2	माध्यमिक शिक्षक	दि. 22 जनवरी 2020 से 07 फरवरी 2020 तक

5/ उपरोक्त स्थिति में अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के सदस्य होने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र की आवश्यकता होगी और ऐसे आवेदक तहसील कार्यालय में उपरोक्त तिथियों के पूर्व अथवा अंतिम तिथि के पूर्व में प्रमाण—पत्र हेतु सम्पर्क करें।

6/ अतः अनुरोध है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए काउंसिलिंग एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित समय—सीमा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें:-

अ. जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियमानुसार अर्ह पाए गए आवेदकों द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) का प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदनों का आपके अधीनस्थ सभी सक्षम प्राधिकारियों को निर्धारित समय—सीमा के भीतर उक्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

ब. जिला स्तर पर इस कार्य की नियमित समीक्षा एवं विभिन्न एजेंसियों एवं कार्यालयों में समन्वय हेतु डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने का कष्ट करें।

स. इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जावे कि नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को प्रमाण—पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही समय—सीमा में सम्पन्न हो।

*Jaseer*  
(रशिम अरुण शर्मा)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग